न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री विवेक व्यास (आरएएस)

राजस्व विविध संख्याः– 39/2022

दर्ज दिनांकः– 11.7.2022

प्रार्थीः–

1. तहसीलदार (भूमिधारी) देसूरी, जिला–पाली।

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीः–

1. श्री भीकाराम पुत्र देवाराम जाति सिरवी निवासी दुदापुरा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86

उपस्थिति

1. प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार श्री शंकरलाल नायब तहसीलदार उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली अनुपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक** 19.4.2024

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अंतर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मौजा ग्राम दुदापुरा तहसील देसूरी के खसरा नंबर 124 रकबा 1.40 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम भूमि की खातेदारी भूमि श्री भीकाराम पुत्र देवाराम जाति सिरवी निवासी दुदापुरा ने खातेदारी भूमि में से देशी बबूल के 04 वृक्ष, अरजीया के 12 वृक्ष, एन्दरा के 02 वृक्ष, खजूर का 01 वृक्ष कुल 19 वृक्ष खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से अवैध रूप से 19 वृक्ष काटे है। अवैध रूप से काटे गये वृक्ष के संबंध में राजस्थाान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत प्रकरण तैयार निम्नानुसार पेश किया।

1. मौजा ग्राम दुदापुरा तहसील देसूरी के खसरा नंबर 124 कुल रकबा 1.40 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम भूमि खातेदारी भूमि है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

2. उक्त भूमि में से अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में से बिना समक्ष स्वीकृति के देशी बबूल के 04 वृक्ष, अरजीया के 12 वृक्ष, एन्दरा के 02 वृक्ष, खजूर का 01 वृक्ष कुल 19 वृक्ष अवैध रूप से काटे गये। वृक्षों की लकडिया का कब्जा बहक सरकार भू–अभिलेख निरीक्षक गुडाजाटान द्वारा लिया जाकर श्री मानवेन्द्र सिंह (पंचायत सहायक) ग्राम पंचायत दुदापुरा को सुपुर्दगी में दी गई है। जिसकी सुपुर्दगी फर्द की मूल प्रति पत्र के संलग्न है।
3. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना समक्ष स्वीकृति के खातेदारी भूमि में से वृक्ष को काटे जाने का कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत दण्डनीय है। अतः अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जाकर जब्तशुदा लकडियों की नीलामी के आदेश यथाशीघ्र ही प्रदान कराने का श्रम करावे।
4. अप्रार्थी की खातेदारी भूमि की जमाबंदी नकल एवं मौका फर्द संलग्न है।
5. शहादत गवाह श्री किशोर कुमार मालवीय भू.अ. निरीक्षक गुडाजाटान, श्री मालीराम पटवारी हल्का दुदापुरा की है।

अतः उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के अंतर्गत तैयार मूल पत्रादि संलग्न भेजकर अनुरोध किया कि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर जब्त शुदा लकडियों की नीलामी के आदेश यथाशीघ्र ही प्रदान कराने का श्रम करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी भीकाराम की ओर से श्री दिनेश माली अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी का जवाब इस प्रकार है।

1. यह की पद संख्या एक सही है।
2. यह की पद संख्या दो में वर्णित कथनों की जानकारी अप्रार्थी को नहीं है, खजूर के पेड क्षेत्र में नही है।
3. यह की अप्रार्थी द्वारा इस पद संख्या तीन के जवाब में निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि पर सुधार कार्य हेतु कंटीली झाडियां व बबूल कांटे गये थे जिनको काटने की अनुमति ली जाना कानून में आवश्यक नहीं होने से बिना अनुमति कृषि भूमि में सुधार कार्य किया गया था।
4. यह की अप्रार्थी ग्रामीण अनपढ काश्तकार है जिसे विधि की जानकारी नही है।

अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को माफी प्रदान कर कार्यवाही ड्रोप के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय द्वारा पत्रांक/219–223 दिनांक 12.03.2024 को तहसीलदार देसूरी को मौजा ग्राम दुदापुरा तहसील देसूरी के खसरा नंबर 124 रकबा 1.40 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम भूमि खातेदारी भूमि भीकाराम पुत्र देवाराम सिरवी निवासी दुदापुरा खातेदारी भूमि में से देशी बबूल के 4 वृक्ष, अरजीया के 12 वृक्ष, एहन्दरा के 2 वृक्ष, खजुर का 1 वृक्ष कुल 19

(signature)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

वृक्ष खातेदार द्वारा बिना सक्षम अनुमति के अवैध रूप से काटे गए वृक्ष की नीलामी किए जाने के आदेश तहसीलदार देसूरी को दिए गए। तहसीलदार देसूरी को वृक्षों की नीलामी की जाकर फर्द नीलामी स्वीकृति इस न्यायालय को तारीख 22.03.2024 के पूर्व पेश प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। सुपुर्दगार श्री मानवेन्द्र सिंह पंचायत सहायक को सूचित किया गया कि लकडी नीलामी कर्ता के सामने लकडी उपलब्ध रखे।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.04.2024 को ग्राम पंचायत भवन दुदापुरा पर नीलामी बोली का आयोजन किया गया। जिसमें अंतिम बोली हिरालाल/हिन्दुराम जाति जणवा नि0 दुदापुरा की रूपये 21,000/— रही जिसमें मौके पर ही अमानत की तौर पर 1/4 हिस्सा राशि रूपये 5250/— मौके पर ही बोलीदाता से प्राप्त किए एवं शेष 3/4 हिस्सा राशि नीलामी स्वीकृति प्राप्त होने पर जमा कराने हेतु पाबंद किया गया। बोली निम्मानुसार 1 सरकारी बोली 8000/— रूपये, 2 श्री गणेशराम/भैराराम 8500/— रूपये 3 भीमाराम/भैराराम 9000/— रूपये, 4 हीरालाल/हिन्दुराम 9511/— रूपये, 5 गणेशराम/भैराराम 16,500/— रूपये, 6 हिरालाल/हिन्दुराम 21,000/— रूपये रही है।

आदेश

दिनांकः— 19.4.2024

प्रार्थी तहसीलदार देसूरी द्वारा अप्रार्थी भीकाराम पुत्र देवाराम जाति सिरवी निवासी दुदापुरा के द्वारा उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंम्बर 124 रकबा 1.40 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम में से अवैध रूप से बिना सक्षम स्वीकृति (अनुमति) के देशी बबूल के 04 वृक्ष, अरजीया के 12 वृक्ष, एन्दरा के 02 वृक्ष, खजूर का 01 वृक्ष कुल 19 हरे वृक्ष काटने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी तहसीलदार को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेज के अवलोकन से अप्रार्थी भीकाराम द्वारा 19 हरे वृक्ष अवैध रूप से बिना सक्षम स्वीकृति के काटना जाहिर है। अतः अप्रार्थी भीकाराम पुत्र देवाराम जाति सिरवी निवासी दुदापुरा पूर्णतया दोषी है। इसके विरूद्ध अवैध रूप से काटे गये 19 हरे वृक्षों के नियमानुसार प्रति वृक्ष 100/— रूपये की दर से 1900/— उन्नसी सौ रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है कि अप्रार्थी भीकाराम से आरोपित राशि 1900/— शीघ्र वसूल कर राजकीय मद में जरिये चालान जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय हाजा को भिजवाना सुनिशिचित करे।

भू—अभिलेख निरीक्षक गुडाजाटान द्वारा 19 वृक्षों की नीलामी की जाकर अंतिम बोलीदाता हिरालाल पुत्र हिन्दुराम जाति जणवा निवासी दुदापुरा के नाम रूपये 21,000/— इक्कीस हजार की अंतिम बोलीदाता के नाम की वृक्षों की फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु पेश की गई।

वाद अवलोकन अंतिम बोली दाता हिरालाल पुत्र हिन्दुराम जाति जणवा निवासी दुदापुरा के नाम अंतिम रही बोली रूपये 21,000/— इक्कीस हजार रूपये की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार देसूरी राशि अंतिम बोलीदाता से वसूल कर संबंधित मद के जरिये

19.4.24

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

चालान जमा कराई जाकर चालान की प्रति न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करे। तहरीर के साथ आदेश की प्रति पालनार्थ प्रार्थी तहसीलदार देसूरी को भेजी जावे।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 19.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रतिः— तहसील राजस्व लेखाकार तहसील देसूरी को राशि की मांग कायम हेतु पालनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner